रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938
No. 475] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 682(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ), तारीख 16 फरवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें प्रभावित सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 16 फरवरी, 2016 को उपलब्ध करवा दी गईं थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"115ङ. फ्लैक्स ईंधन इथनौल (ई-85) और इथनोल (आईडी 95) यानों के लिए वृहत उत्सर्जक मानक"

3. मूल नियमों में, नियम 115ङ में, उप-नियम(1) के स्थान पर उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1) स्पार्क ईंधन इंजन से सुसज्जित नए विनिर्मित गैसोलीन या गैसोलीन के मिश्रण और 85 प्रतिशत इथनोल संमिश्रण (ई-85) से चालन के लिए संगत है (जिसे इसमें इसके पश्चात् फ्लैक्स ईंधन इथनोल यान कहा गया है), अभिभावी गैसोलीन उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित किस्म के होंगे ।

4. मूल नियमों में, 115ङ नियम में, उप-नियम (3) के स्थान पर उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) इथनोल संमिश्रण के स्तर के लिए यानों की संगतता को यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और उसे स्पष्ट रूप से दृश्य स्टीकर लगाकर यान पर दर्शित किया जाएगा ।"

5. मूल नियमों में, नियम 115ङ में, उप-नियम (4) में, सारणी 1 और सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

सारणी 1

चार पहिया यानों, जिनका समग्र यान भार 3,500 किलोग्राम से कम या उसके बराबर हैं, के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार की परीक्षण अपेक्षाएं

क्रम सं.	परीक्षण	फ्लैक्स-ईंधन इथनोल यान
1	गैसीय प्रदूषक (किस्म 1 परीक्षण)	फ्लैक्स ईंधन इथनोल यान
2	निष्क्रिय और उच्च निष्क्रिय उत्सर्जन (किस्म 2 परीक्षण)	दोनों पर गैसोलीन और ई85 और ई100 ईंधन
3	क्रैंक केस उत्सर्जन (किस्म 3)	गैसोलीन और ई85 दोनों पर या ई1000 ईंधन
4	वाष्पशील उत्सर्जक (किस्म 4)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	टिकाउपन (किस्म 5)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
6	आनबोर्ड निदान (ओ.बी.डी. 2)	गैसोलीन और ई85 दोनों पर या ई100 ईंधन

सारणी 2

दुपहिया या तिपहिया यानों के लिए किस्म अनुमोदन और विस्तार की परीक्षण अपेक्षाएं

क्रम सं.	परीक्षण	फ्लैक्स-ईंधन इथनोल यान
1	गैसीय प्रदूषक (किस्म 1 परीक्षण)	गैसोलीन और ई85 दोनों पर या ई100 ईंधन
2	निष्क्रिय और उत्सर्जन (किस्म 2 परीक्षण)	गैसोलीन और ई85 दोनों पर या ई100 ईंधन
3	क्रैंक केस उत्सर्जन (किस्म 3)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
4	वाष्पशील उत्सर्जक (किस्म 4)	केवल गैसोलीन ईंधन पर
5	टिकाउपन (किस्म 5)	केवल गैसोलीन ईंधन पर"

6. मूल नियमों में, नियम 115ङ में, उप-नियम (4) के टिप्पणों पर मद (xi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(xii) निर्देशन ईंधन गैसोलीन के लिए उपाबंध 4-झ में, यथाविनिर्दिष्ट ईंधन होगा; ई100 यानों के लिए उपाबंध-द"।"

7. मूल नियमों में, उपाबंध 4द के पश्चात् उपाबंध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"उपाबंध 4-द

(नियम 115ङ देखें)

संदर्भ ईंधन ई 100 (1 एस 15464:2004) के अनुसार संदर्भ की तकनीक विनिर्देश

क्रम सं.	**विशिष्टताएं**	**अपेक्षा**
1.	15.6/15.6 सेंटीग्रेड अपेक्षिक घनत्व, अधिकतम	0.7961
2.	मात्रा द्वारा इथनोल अंतर्वस्तु कम से कम प्रतिशत पर 15.6/15.6 सेंटीग्रेड (डिटरेट अपवर्जित)	99.5
3.	जल के साथ मिश्रणीयता	मिश्रणीय
4.	एल्कालिरी	शून्य
5.	अम्लता (सीएचसीओओएच) मिलीग्राम/1^3 अधिकतम	30
6.	भार द्वारा प्रतिशत वाष्पीकरण पर अवशिष्ट अधिकतम	0.005
7.	एल्टीहाइड अंतर्वस्तु (CH_3CHO के रूप में) मिलीग्राम/1 अधिकतम	60
8.	कॉपर मि.ग्रा./कि.ग्रा., अधिकतम	0.1
9.	चालकता/एस./मि., अधिकतम	300
10.	मिथैल एल्कोहल मि.ग्रा./लीटर, अधिकतम	300
11.	रूप	स्पष्ट और दीप्त"।

[फा. सं. आरटी-11028/13/2014-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 629(अ) तारीख 24.06.2016 द्वारा अंतिम संशोधन किए गए ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

G.S.R. 682(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R.176 (E), dated the 16th February, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 16th February, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eight Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as principal rules), in rule 115E, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"115E. Mass emission standard for flex-fuel ethanol (E85) or (E100) and ethanol (ED95) vehicles".

3. In the principal rules, in rule 115E, for sub-rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (1) The newly manufactured gasoline vehicles fitted with spark ignition engine compatible to run on gasoline or a mixture of gasoline and ethanol up to 85 per cent. Ethanol blend (E85) or mixture of gasoline and ethanol up to 100 per cent (E100), (hereinafter referred to as flex-fuel ethanol vehicle), shall be type approved as per prevailing gasoline emission norms.".

4. In the principal rules, in rule 115E, for sub-rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E85 or E100 or ED95 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.".

5. In the principal rules, in rule 115E, in sub-rule 4, for the Table 1 and Table 2 the following Tables shall be substituted, namely:-

"Table 1

Test requirements for type approval and extension

For four wheeled vehicles with Gross Vehicle Weight less than or equal to 3,500 kg

Sr. No.	Test	Flex-fuel ethanol vehicle
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
2.	Idle and high idle emission (type II Test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
3.	Crankcase emission (Type III)	Only on Gasoline fuel
4.	Evaporative emissions (Type IV)	Only on Gasoline fuel
5.	Durability (Type V)	Only on Gasoline fuel
6.	Onboard diagnostics (OBD II)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel

IndiaCode

Table 2

Test requirements for type approval and extension

For two or three wheeled vehicles

Sr. No.	Test	Flex-fuel ethanol vehicle
1.	Gaseous pollutants (Type I test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
2.	Idle and emission (Type II Test)	On both Gasoline and E85 or E100 fuel
3.	Crankcase emission (Type III)	Only on Gasoline fuel
4.	Evaporative emissions (Type IV)	Only on Gasoline fuel
5.	Durability (Type V)	Only on Gasoline fuel"

6. In the principal rules, in rule 115E, in sub-rule 4, in Notes, after item (XI), the following item shall be inserted, namely:-

"(xii) "The reference fuel shall be as specified in Annexure IV-J for gasoline; Annexure S for E100 vehicles.".

7. In the principal rules, after ANNEXURE IV-R, the following Annexure shall be inserted, namely:-

"ANNEXURE IV-S

[See rule 115(E)]

Technical specifications of the reference fuel E100 (As per IS 15464:2004)

IndiaCode

Sr. No.	Characteristic	Requirement
1	Relative density at 15.6/15.6 ^{O}C, max	0.7961
2	Ethanol content percent by volume at 15.6/15.6 ^{O}C, min (excluding denaturant)	99.5
3	Miscibility with water	Miscible
4	Alkalinity	Nil
5	Acidity (as CH_3COOH) mg/l, max	30
6	Residue on evaporation percent by mass, Max	0.005
7	Aldehyde content (as CH_3CHO) mg/l, max	60
8	Cooper mg/kg, max	0.1
9	Conductivity, µS/m, max	300
10	Methyl alcohol, mg/litre, max	300
11	Appearance	Clear and bright".

[F. No. RT-11028/13/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R 629 (E) dated 24.06.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.